रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236585
CG-DL-E-15062022-236585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944
No. 154] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

सं. 15/2015–2020

विषयः दिनांक 24.05.2022 की सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–20 के क्रम में प्रावधानों को शामिल करना।

फा. सं. 01/89/180/विविध–52/एएम–06/पीसी–2(क)/पार्ट–I./ई–19847.—समय–समय पर यथा–संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–20 दिनांक 24.05.2022 के पैरा 2 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

1. पैरा 2 (iii) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

   प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई के लिए, आवेदकों को केंद्रीय/राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजी प्रमाण की एक स्व–प्रमाणित प्रति प्रदान करनी होगी, जिसमें इसकी प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाया गया हो। प्रमाणपत्र दिनांक 24.05.2022 से पहले का होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र में खाद्य तेलों की प्रोसेसिंग क्षमता का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. पैरा 2 के तहत क्रम संख्या (vi) के बाद निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाते हैं:–

   vii. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात 2019–20 से 2021–22 तक क्रूड खाद्य तेलों के प्रसंस्करण के लिए कारोबार का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों द्वारा स्व–प्रमाणित जीएसटी रिटर्न उपलब्ध करवाया जाएगा।

   viii. टीआरक्यू के तहत किए गए आयात केवल घरेलू प्रसंस्करण और खपत के लिए हैं। उक्त टीआरक्यू आयात का कोई भी भाग प्रसंस्करण से पहले या बाद में निर्यात नहीं किया जा सकता है।

ix. वित्त वर्ष 2022–23 के लिए जारी किए गए टीआरक्यू एक वर्ष की अवधि या 30 जून, 2023 तक, जो भी पहले हो, के लिए आयात की निकासी हेतु वैध होंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जारी टीआरक्यू 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले ऐसे टीआरक्यू पर आयात की निकासी के लिए मान्य होंगे।

x. टीआरक्यू लाइसेंस जारी होने की तारीख के बाद भारतीय पत्तनों पर उतरने वाली आयात खेपों पर केवल टीआरक्यू के तहत निकासी हेतु विचार किया जाएगा। टीआरक्यू लाइसेंस जारी करने की तारीख से पहले भारतीय पत्तनों (वेयरहाउसिंग आदि के अन्दर) में पड़ी किसी भी मात्रा पर टीआरक्यू के तहत आयात मंजूरी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

xi. अप्रयुक्त मात्रा अर्थात, वर्तमान आयात अवधि के अंत तक टीआरक्यू लाइसेंसधारियों द्वारा आयात नहीं की गई मात्रा, अगली टीआरक्यू अवधि, अर्थात 2023–24 के दौरान उनके प्रस्तावित आवंटन (यदि आवंटन पर विचार किया जाता है) से घटा ली जाएगी।

3. सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015–20 दिनांक 24.05.2022 के अन्तर्गत यथा–अधिदेशित अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए 20 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोयाबीन तेल और 20 लाख मीट्रिक टन क्रूड सूरजमुखी तेल के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए अतिरिक्त प्रावधानों को अधिसूचित करने के लिए सार्वजनिक सूचना 10/2015–20 दिनांक 24.05.2022 में परिवर्तन किए गए हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 14th June, 2022

No. 15 / 2015-20

Subject: Inclusion of provisions in continuation to Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 - reg.

F. No. 01/89/180/Misc-52/AM-06/PC-2(A)/Part-I./E-19847.—In exercise of the powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para 2 of Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 as under :

1. Para 2 (iii) is revised to read as follows:

For each processing unit, applicants shall provide a self-certified copy of documentary proof issued by Central/State Authorities, indicating its processing capacity. The certificate should be dated prior to 24.05.2022. The process capacity for Edible oils should be mentioned in the said certificate.

2. The following provisions are inserted after Sl. No. (vi) under para 2 –

vii. Details of turnover for processing of Crude Edible Oils in the last three financial years, i.e., from 2019-20 to 2021-22, are to be submitted. Self-certified GST Returns shall be provided by the applicants.

viii. Imports made under TRQ are for domestic processing and consumption only. No part of the said TRQ Imports can be exported before or after processing.

ix.The TRQs issued for financial year 2022-23 shall be valid for clearance of import for a period of one year or till 30th June, 2023, whichever is earlier. TRQs issued for FY 2023-24 shall be valid for clearance of imports till 31st March, 2024.

x. Import consignments landing at Indian Ports after the date of issuance of TRQ licence shall only be considered for clearance under TRQ. Any quantities lying at the Indian ports (under warehousing etc) before the date of issuance of the TRQ license shall not be considered for import clearance under TRQ.

xi. The un-utilized quantities i.e., quantities not imported by the TRQ Licencees by the end of the current import period, shall be deducted from their proposed allocations (in case allocation is considered) during the next TRQ period, i.e., 2023-24.

3. All other conditions as mandated under Public Notice No. 10/2015-20 dated 24.05.2022 remain applicable.

Effect of Public Notice: Changes are made in Public Notice 10/2015-20 dated 24.05.2022 for notifying additional provisions for allocation of Tariff Rate Quota (TRQ) for 20 Lakh MT of Crude Soya bean oil and 20 Lakh MTs of Crude Sunflower oil for FY 2022-23 and 2023-24.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.15 15:39:11 +05'30'